बजट आवंटन/आयोजनागत
संख्या 60/ना0उ0/2012/16/IX/2010

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन निदेशालय
उत्तराखण्ड, जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट, देहरादून।

परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 17 अप्रैल, 2012

विषय– **देहरादून स्थित सहस्त्रधारा हैलीड्रोम परिसर को गदेरे से सुरक्षात्मक कार्यो के लिए रू0 26.99 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति ।**

महोदय,

उपरोक्त्त विषयक अपने पत्र संख्या–2920/नि.ना.उ.नि.–सहस्त्रधारा हैली0/20011–12 दिनांक 17 मार्च, 2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून स्थित सहस्त्रधारा हैलीड्रोम परिसर के बायीं ओर बहने वाले नाले के कारण कटाव होने से खतरा उत्पन्न हो गया है, जिसके सुरक्षात्मक उपाय हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं विकास निर्माण निगम, देहरादून द्वारा कुल रू0 27.02 लाख के आगणन के सापेक्ष वित्त विभाग टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत कुल रू0 26.99 लााख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकति की श्री राज्यपाल निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय हेतु आहरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकरी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्येनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
5. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
6. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय ।

8. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

9. स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को शासनादेश संख्या–183 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुसार उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दिनांक 31.3.2013 तक अवश्य कर लिया जाय। निर्माण कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक सूचना निर्धारित प्रपत्र पर शासन एवं निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि दिनांक 31–03–2013 तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दी जायेगी। अग्रिम का समायोजन दिनांक 31–3–2013 तक अवश्य कर दिया जायेगा।

11– धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12– इस सम्बन्ध में व्यय विवरण तथा आवश्यक बाउचर आदि सुरक्षित रखे जायेंगे।

13– कार्यदायी संस्था को आवंटित कार्य निश्चित समय सीमा में पूर्ण कराया जाना होगा तथा कार्य की गुणवत्ता में कमी, कार्यो में शिथिलता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण इकाई पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी ।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 5053–नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय–02–विमानपत्तन–आयोजनागत–800 –अन्य व्यय–04–हवाई पट्टी का सुदढीकरण एवं अन्य सम्बद्ध निर्माण कार्य–00–24 वृहद निर्माण की मद के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–262/XXVII (2)/2012, दिनांक 12 अप्रैल, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या 60(1)/ना0उ0/2012/16/IX/2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (आडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105 इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (ए एण्ड ई) उत्तराखण्ड ओबेराय, मोटर्स, बिल्डिंग माजरा देहरादून।
3. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल संशाधन विकास एवं निर्माण निगम देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2
7. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
8. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।